प्रकरण स[illegible]
मनफूल पुत्र श्री[illegible]
राजस्थान।

15/7/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप.। वाद वादी [illegible] [illegible] [illegible] विस्तृत निर्णय [illegible] [illegible] की गई। [illegible] [illegible] की गई।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2025/28

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमान संदीप कुमार काकड़ आर.ए.एस

प्रकरण सं0ः—16/2025 GCMS:-2025/26 दायरा दिनांकः—16.01.2025

मनफूल पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

...वादी

बनाम

1. श्री सहीराम पुत्र श्री धारूराम जाति मेघवाल निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ...प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादी)
2. प्रतिवादी नं0 1 बाद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय दिनांकः— 15/07/2025

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया की वदी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के नाम से चक 4 जीएम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 42 प0न0 223/37 (8) कि0न0 3 ता 8, 13 = 1.771 है0, प0न0 223/61 (5) कि0न0 1 ता 7, 14 = 2.024 है0 कुल 3.795 है0 भूमि एवं इसके अलावा तहसील हनुमानगढ के चक 2 डीबीएल खाता नं0 157/129 में 0.430 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जो कि पैतृक सम्पदा हैं। प्रतिवादी नं0 1 के एक पुत्र वादी ही हैं। अन्य कोई वारिय नही हैं। घरेलू समझौता अनुसार चक 4 जीएम की 3.795 है0 भूमि मुझ वादी को प्राप्त हैं। जिस पर कब्जा वादी का सतत् रूप से चला आ रहा हैं। वादी उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी के हक—हकूक व खातेदारी काश्तकारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हैं। इसलिये वादी प्रतिवादी का नाम कलमजन करवा उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जैरवाद रकबा अपने नाम से करवाने हेतु कहां ता प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इंकार कर दिया। यदि इंकारी वाद कारण हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

................लगतार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 4 जीएम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 42 प0न0 223 / 37 (8) कि0न0 3 ता 8, 13 = 1.771 है0, प0न0 223 / 61 (5) कि0न0 1 ता 7, 14 = 2.024 है0 कुल 3.795 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज किया जावें।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। प्रतिवादी नं0 1 को साधारण / रजिस्टर्ड एवं दैनिक अखवार के माध्यम से तामिल करवाई गई। सम्यक रूप से तामिल उपरान्त प्रतिवादी नं0 1 के हाजिर नही होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं कोई विपरीत साक्ष्य नही आने पर तनकी कायम नही की गई। दिनांक 04.07.2025 को वादी स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य वादी पेश किये जिस पर जिरह शून्य रही। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन, मनन एवं चिंतन के आधार पर स्पष्ट हैं कि जैर वाद भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुआ हैं एवं वादी द्वारा अपने वाद पत्र को शपथ पत्र के माध्यम से साबित किया है। अतः हम वादपत्र वादी न्याय हित में एवं कोई विपरीत साक्ष्य प्रापत नही होने की सूरत में स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 4 जीएम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 42 प0न0 223 / 37 (8) कि0न0 3 ता 8, 13 = 1.771 है0, प0न0 223 / 61 (5) कि0न0 1 ता 7, 14 = 2.024 है0 कुल 3.795 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जावें। डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलाश दिनांक 15.07.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार काकड़)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिक्री:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्री संदीप कुमार काकड़ आर.ए.एस.)

–अनवान–

मनफूल पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान। ...वादी

बनाम

1. श्री सहीराम पुत्र श्री धारूराम जाति मेघवाल निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ...प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 16 वर्ष 2025 में यह मुकदमा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अनिल कुमार शर्मा, राकेश सारस्वत हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 4 जीएम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 42 प0न0 223/37 (8) कि0न0 3 ता 8, 13 = 1.771 है0, प0न0 223/61 (5) कि0न0 1 ता 7, 14 = 2.024 है0 कुल 3.795 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिये जाते हैं।

नोज..... ..... मुबलिग..... .....बाबत..... ..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... .....फस्दो की पालना ....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15.07.2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ